विभागीय अधिसूचना कमांक सं. एफ. 9(79)रेव–6/2011/32 दिनांक 01.12.2011 का हिन्दी अनुवाद।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक: प. 9(79)रेव–6/2011/32 जयपुर, दिनांक:– 1-12-11

अधिसूचना

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं0 3) की धारा 34 के परन्तुक और राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0 15) की धारा-101 और 102 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू–राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5–क का संशोधन:– राजस्थान भू–राजस्व (निष्कान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम, 1963 के नियम 5–क में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1000/–रू. और 500/–रू. प्रति बीघा की दर से शास्ति के साथ भूमि के केता से बाजार कीमत के 25% के संदाय पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2000/–रू. और 1000/–रू. प्रति बीघा की दर से शास्ति के संदाय पर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपर्युक्त कीमत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपर्युक्त" रकम प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संपूर्ण अतिशेष रकम के संदाय पर और बाजार कीमत के 25% की दर से नियमितिकरण फीस के संदाय पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संपूर्ण अतिशेष रकम के संदाय पर और सिंचित और असिंचित भूमि के लिये क्रमशः 2000/–रू. और 1000/–रू. प्रति बीघा की दर से शास्ति के संदाय पर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

sa4 - 412

(iv) उप–नियम (2) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपर्युक्त कीमत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपर्युक्त रकम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) उप–नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "क्षेत्र की बाजार कीमत के 25% के संदाय पर और 2000/–रू. और 1000/–रू. प्रति बीघा की दर से नियमितिकरण फीस के संदाय पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2000/–रू. और 1000/–रू. प्रति बीघा की दर से शास्ति के संदाय पर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vi) उप–नियम (3) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपर्युक्त कीमत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपर्युक्त रकम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह.

(जी.डी. आर्य)
शासन उप सचिव

राजस्थान सराकर
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प0 9(19) राज–6/2011 पार्ट/24 जयपुर दिनांकः– 16.8-12

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को इस विभाग की समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
5. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16.8-12 ....में प्रकाशन हेतु।
10. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 16/8/12

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक :–प.14 (46)रामले/परिपत्र/88–89/ 1666–1730 दिनांक :– 6-9-12

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
(1)– निरीक्षक राजस्व लेखा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
(2)– निरीक्षक राजस्व लेखा, संभागीय आयुक्त————————
(3)– निरीक्षक राजस्व लेखा, आ0ले0जांच दल (आय) मु0 जिला कलक्टर————————
(4)– निरीक्षक राजस्व लेखा,मुख्यालय जिला कलक्टर————————
(5)– निरीक्षक राजस्व लेखा, ए0पी0आर0टी0टोंक।
(6)– [illegible]

वरिष्ठ लेखाधिकारी (आय)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर